न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /09/2026

टीटू पुत्र मुकेश जाति बाल्मिकी, निवासी आनन्द नगर कॉलोनी तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

...... उत्तरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1558 दिनांक 16.3.2025 तहसीलदार भरतपुर।

उपस्थितः–
स्वय अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 11.2.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 1558 दिनांक 16.3.2025 तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलान्ट का अपील में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 371 रकवा 0.41 है0 बाके ग्रांम चिचाना तहसील भरतपुर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा श्रीमती मिथलेश कुमारी वगे0 से दिनांक 31.1.2025 को क्रय किया गया था। बयनामा इस समय दस्तावेज लेखन की कमी के कारण केता अपीलान्ट की जाति बाल्मिकी के स्थान पर जाटव दर्ज कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त सहवन से हुई त्रुटि को जरिये संशोधन पत्र द्वारा संशोधित कराकर उप पंजीयक भरतपुर के समक्ष तस्दीक व पंजीकृत करा दिया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित नामान्तकरण के आधार दर्ज राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु तहसीलदार भरतपुर से निवेदन किया तो तहसीलदार भरतपुर द्वारा आदेशित किया कि उक्त संशोधन श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा किया जा सकता है और उन्होंने संशोधन करने से इन्कार कर दिया। अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1558 में संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट की जाति जाटव के स्थान पर बाल्मिकी दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एलआर/26/757 दिनांक 5.2.2026 के साथ सत्यप्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 1558 प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई। अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1558 में संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट की जाति जाटव के स्थान पर बाल्मिकी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट की प्रार्थना पर गौर किया। नामान्तकरण संख्या 1558 ग्रांम चिचाना तहसील भरतपुर पर गौर किया

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

सरबरक पत्रावली

न्यायालय .... जिला कलेक्टर

मि. नम्बर	किस्म

आदेश 11/2/

अपील राजस्व /09/2026

टीटू बनाम राज0 सरकार

गया। अपीलान्ट विवादित नामान्तकरण संख्या 1558 में अपनी जाति जाटव के स्थान पर बाल्मिकी का संशोधन करना चाहता है। यह जॉच का विषय है, इस लिये प्रकरण को वास्ते जांच तहसीलदार भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमान्ड) किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य सबूत लेकर विधिवत जांच कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)